

धारा 86 : अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व

जहां कोई अभिकर्ता, अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराधेय वस्तुओं की पूर्ति करता है या उन्हें प्राप्त करता है वहां ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथकतः इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे।
